कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0 प्र0
परिपत्रांक 52/अधि0–2 दिनॉक 30 लखनऊ अक्टूबर 2015

1. समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक,
   सहकारिता, उ0प्र0।
2. सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
   समस्त जिला सहकारी बैंक लि0, उ0प्र0।

विषयः– कृषि–निवेशों की आपूर्ति हेतु बैंक अधिकार पत्र/गुड फार पेमेन्ट की चैके निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0, लखनऊ के पत्रांक–पी0सी0एफ0/बीज/15–16 दिनांक 19.10.2015 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदो से बैंक अधिकार पत्र/गुड फार पेमेन्ट की चैके प्राप्त न होने के कारण चयनित सहकारी विकी केन्द्रों को बीज का प्रेषण किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रदेश में कार्यरत सहकारी समितियों को कृषि–निवेशों तथा उर्वरकों की पर्याप्त एवं सामयिक आपूर्ति हेतु बैंक अधिकार पत्र/गुड फार पेमेन्ट की चैके यथाशीघ्र जिला प्रबन्धक, उ0प्र0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0, लखनऊ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे की कृषकों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप कृषि–निवेशों तथा उर्वरकों की आपूर्ति की जा सकें।

उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन करते हुए कृषकों को उनकी आवश्यकता/मॉग के अनुरूप कृषि–निवेशों तथा उर्वरकों की सामयिक आपूर्ति सुनश्चित करें।

(किशन सिंह अटोरिया),
आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता, उ0प्र0,
लखनऊ।

परिपत्रांक 52/अधि0–2 दिनॉक उक्त।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0एफ0, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ।
3. समस्त उप आयुक्त एवं उप निबन्धक/संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0।
4. प्रमुख सचिव, सहकारिता, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
5. अपर निबन्धक (कम्प्यूटर) को ई–मेल व वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता, उ0प्र0,
लखनऊ।